an>

Title: Need to review and ban the product of Johnson and Johnson in India pronounced harmful in America.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में एक खबर आई है कि अमेरिका के एक सर्किट कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक जॉनसन एडं जॉनसन को अमेरिका महिलाओं में सामने आये गर्भाशय के कैंसर को लेकर 4.69 बिलियन डॉलर्स (लगभग 321 अरब रुपये) का जुर्माना एवं 550 मिलियन डॉलर (लगभग 38 अरब रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 22 महिलाओं को दिया जायेगा । पीड़ित महिलाओं का कहना था कि कंपनी ने बेबी पाउडर में मौजूद एक पदार्थ आस्बेस्टोस की वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ था।

हमारे देश में भी उक्त कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल काफी बड़ी संख्या में किया जाता है। अमेरिकन कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में कंपनी के संदर्भित उत्पाद पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा आस्बेस्टोस अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों के विभिन्न उत्पादों में मौजूद होने की जांच की जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।